भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 600

06.02.2023 को उत्तर के लिए

केवल एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

600. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :
श्री बी.बी पाटिल :
डॉ. अमर सिंह :
श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केवल एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में समयबद्ध तरीके से प्लास्टिक के उपयोग में कमी की निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पाया है कि कई विनिर्माता स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कवर, सिगरेट के पैकेट आदि जैसी प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन जारी रखे हुए हैं और ऐसी वस्तुएं छोटी दुकानों में भी उपलब्ध होती है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नियमों के अनुपालन के लिए अब तक किसी व्यक्ति/कंपनी को दंडित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उत्पाद बनाने अथवा बिक्री करने वाले थोड़े-से सिगरेट विनिर्माताओं को पैकेजिंग में किसी भी रूप में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करने के लिए कोई नोटिस जारी किया है या समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उन तम्बाकू उत्पाद के विनिर्माताओं पर क्या कार्रवाई की गई है जो केवल एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जो दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी हुआ है, सांविधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है और नियमों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरणों को नियत किया गया है, जिसमें अभिज्ञात की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित करना शामिल है, इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे फल और सब्जी बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय

बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैगों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों आदि को शामिल करते हुए, अभिज्ञात की गई सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियों पर तथा एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु नियमित प्रवर्तन अभियान संचालित करें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियों के अंतर-राज्यीय संचलन को रोकने हेतु सीमा चौकियों पर यादृच्छिक जांच-पड़ताल करें। दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक अभिज्ञात एकल उपयोग की प्लास्टिक सामग्रियों पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक माह तक चलने वाला प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अक्तूबर, नवम्बर और दिसंबर, 2022 माह में अखिल भारतीय स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं।

देश में अभिज्ञात एकल उपयोग की प्लास्टिक सामग्रियों पर प्रतिबंध की प्रभावकारी निगरानी और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफार्म संचालित हैं : (क) व्यापक कार्य-योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन संबंधी नियमों के अनुपालन के लिए सीपीसीबी का निगरानी मॉड्यूल और (ग) सीपीसीबी का शिकायत निवारण संबंधी अनुप्रयोग (ऐप)।

(ख) और (ग) प्रवर्तन अभियान के दौरान, स्थानीय बाजारों में स्थित छोटी दुकानों सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों में अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के उल्लंघन का मामला पाया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्रियों को जब्त करना और जुर्माना लगाना शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रवर्तन अभियानों के दौरान लगभग 6,01,67,701/- रुपए का जुर्माना लगाया गया और 8,04, 501 किलोग्राम सामग्री जब्त की गई।

(घ) से (ड.) गुटखा/पान मसाला विनिर्माताओं और सिगरेट विनिर्माताओं को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो अपने उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। इकाइयों को बंद करने और अनुपालन न करने वाली इकाइयों के खिलाफ पर्यावरण कानूनों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने सहित उचित कार्रवाई की गई है।

******